अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास भागीरथ राम आर.ए.एस

वादीगण

कन्याबाई पुत्र लच्छीराम पत्नि प्रेमकपूर जाति माली निवासी सिरोही
अधिवक्ता नरपतसिह देवडा उपस्थित।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरलाल पुत्र लच्छीरामजी माली
2. फूलाराम पुत्र लच्छीरामजी माली
3. उगमराज पुत्र लच्छीरामजी माली
4. दिलीपकुमार पुत्र लच्छीरामजीमाली
5. पार्वतीबाई पुत्री लच्छीराम पत्नि बाबुलालजी समस्त जातियान माली निवासीगण सुमेरपुर तह.सुमेरपुर
6. सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज
7. धनराज पुत्र राजमल जैन सुमेरपुर
8. देवीचन्द पु.मीठालाल जैन कैलाशनगर
9. दिनेश कुमार पुत्र चम्पालाल जैन पोसालिया
10. अचलाराम पुत्र सदाजी माली नि.कैलाशनगर

वाद सख्या पुराना 139/2010
नया 40/2012

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त अधि.वास्ते खातेदारी घोषणा के अधिकार

–निर्णय– **दिनांक 29.01.2021**

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीया ने जरिये अधिवक्ता नरपतसिह देवडा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 सीपीसी का पेश किया। संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि:–

मौजा जोगापुरा पटवार हल्का जोगापुरा तहसील शिवगंज में स्थित (अ) खसरा नम्बर 140/1 रकबा 00.10,140/2 रकबा 92.05 बीघा कुल किता दो कुल रकबा 92 बीघा 15 बिस्वा तथा (ब) खसरा नम्बर 259/1मी रकबा 00.13 बिस्वा, खसरा नम्बर 262/1मी.01 रकबा 00–07बिस्वा किता दो कुल रकबा एक बीघा कृषि भूमि वादीया एंव प्रतिवादी संख्या एक ता पॉच के पिता लच्छीराम पुत्र चमनाजी जाति माली ने पंजीकृत विकय विलेख से सन् 1957 के करीब खरीद की थी उक्त भूमि को खरीद के पश्चात खातेदार कृषक बने तथा तब से कब्जा लच्छीराम का था। लच्छीरामजी का देहान दिनाक 12.10.1999 को हो चुका है लच्छीराम के मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान वादीया एंव प्रतिवादी संख्या एक ता पॉच तथा वादीया की माता श्रीमति लेहरीबाइ भी लच्छीरामजी की उत्तराधिकारी थी जिससे लच्छीरामजी की मृत्यु के पश्चात उक्त कृषि भूमि के खातेदार कृषक वादीया एंव प्रतिवादी संख्या एक ता पॉच एंव लेहरीबाई सयुक्त रूप से समान हक हिस्से बने है। स्व. लच्छीरामजी ने अपने जीवनकाल मे वाद पद संख्या एक मे दर्शायी कृषि भूमि खसरा नम्बर 140/1 एंव खसरा नम्बर 140/2 किता दो कुल रकबा 92 बीघा 15 बिस्वा का 1/10 हिस्सा श्रीमति लेहरीबाई धर्मपत्नि लच्छीरामजी को पंजीकृत विकय विलेख से विकय कर दिया था जिससे उक्त वाद पत्र एक (अ) मे वर्णित भूमि मे स्व लच्छीरामजी का 9/10 हिस्सा एंव श्रीमति लेहरीबाई का 1/10 हिस्सा बना जो लच्छीरामजी की धर्मपत्नि थी।

लच्छीरामजी की मृत्यु के पश्चात वाद पद संख्या एक (अ) मे वर्णित कृषि भूमि के 9/10 खातेदारी हक हिस्से के खातेदार वादीया एंव प्रतिवादी संख्या एक ता पॉच सयुक्त रूप से समान हक हिस्से से बने है इसी प्रकार लच्छीराम की मृत्यु के प्श्चात वाद पत्र पद संख्या एक (ब) मे वर्णित कृषि भूमि के खातेदार कृषक वादीया एंव प्रतिवादीगण एक ता पॉच सयुक्त रूप से समान हक हिस्से से बने है।

लच्छीरामजी की मृत्यु के पश्चात राजस्व रेकर्ड मे नामान्तरकरण संख्या 969 दर्ज हुआ उक्त नामान्तरकरण के इन्द्राज मे तत्कालीन पटवारी ने लच्छीराम के स्थान पर वादीया एंव प्रतिवादी संख्या एक ता पॉच एंव लेहरीबाई का नाम खातेदार के रूप मे अंकित करने के इन्द्राज किये लेकिन ग्राम पंचायत जोगापुरा के तत्कालीन संरपच देवाराम ने उक्त नामान्तरकरण के इन्द्राज मे से वादीया एंव प्रतिवादी संख्या पॉच पार्वतीबाई के नाम हटाये जाने आदेश अवैध रूप से दिये है जिससे वादीया एंव प्रतिवादी संख्या पॉच का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे बतौर खातेदार अंकित नही हो सका लेकिन वादीया एंव प्रतिवादी संख्या पॉच का सयुक्त कब्जा काश्त एंव हक अधिकार [illegible] के हक हिस्से मे चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या एक ता चार ने संरपंच ग्राम पचायत [illegible] मिलावट कर वादीया एंव प्रतिवादी संख्या पॉच का नाम हटवा दिया है [illegible] जिससे बतौर प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी वादीया व प्रतिवादी संख्या [illegible] कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या एक ता चार के साथ सयुक्त रूप से [illegible] पत्र पद संख्या एक (अ) [illegible] स्व लच्छीरामजी की खातेदारी कृषि भूमि 9/10 हिस्से मे वादीया [illegible] 1/6 तथा प्रतिवादीगण एक [illegible] का 1/6–1/6 हक हिस्सा है इस प्रकार प्रत्येक का 1/6 हक हिस्सा है। इसी प्रकार वाद पत्र पद संख्या एक (ब) मे वर्णित कृषि भूमि मे लच्छीरामजी की मृत्यु के पश्चात वाद ग्रस्त आराजी मे इनकी कानूनी उत्तराधिकारी कमश वादीया कन्याबाई प्रतिवादीगण भवरलाल,फुलाराम,उगमराज, दिलीपकुमार पार्वतीबाई एंव लेहरीबाई का समान हक हिस्सा अर्थात 1/7 खातेदारी हक हिस्सा है अपने हक हिस्से अनुसार लच्छीरामजी के सभी वारिसान सयुक्त रूप से काबिज काश्त हुए है। ....लगातार पेज सख्या–2 पर....

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:46:13 IST
Reason: SelfAttested

दिनाक 30.10.2001 को लेहरीबाई की मृत्यु होने के बाद वादपत्र के पद संख्या एक (अ) मे वर्णित कृषि भूमि 1/10 हिस्सा तथा (ब) मे वर्णित भूमि 1/7 हिस्सा भूमि मे वादीया व प्रतिवादीगण एक ता पॉच को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1033 से बतौर खातेदार कृषक अकिंत किया गया जो उसके पश्चात जमाबंदी की प्रतिष्टियो से उक्त तथ्य भंलीभांति साबित है। लेकिन वादिया के पिता स्व लच्छीरामजी की मृत्यु के पश्चात वादिया तथा प्रतिवादी संख्या पॉच पार्वतीबाई के नाम नामान्तरकरण बदनियति पूर्वक दायर नही हो सका। वादीया के पिता की मृत्यु के पश्चात वादीया का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अकिंत न हो मात्र से वादीया के वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हक अधिकार किसी रूप मे समाप्त नही होते है नामान्तरकरण एक फिसकल ऐन्टरी है वादीया वादग्रस्त भूमि मे बतौर खातेदार कृषक काबिज काश्त है।वादीया ने अपने खातेदारी हक हिस्से का कभी भी त्याग नही किया है वादीया स्व लच्छीराम व स्व लेहरीबाई की पुत्री होने से बतौर उत्तराधिकारी वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि के 1/6 हिस्से की खातेदारी कृषक है एव इसी प्रकार प्रत्येक प्रतिवादी क्रमशः भंवरलाल, फूलाराम, उगमराज,दिलीपकुमार एंव पार्वतीबाई 1/6 – 1/6 हिस्से के खातेदार कृषक है एंव वादीया अपने 1/6 हिस्से की खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। जिस हेतू वादीया का यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व वास्ते घोषणा खातेदारी माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या पॉच के विरूद्व वाद मे कोई रिलिफ नही है वरन् विवादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से की खातेदारी कृषक होने से एंव वादीया के साथ सम्मिलित नही होने से प्रतिवादी संख्या पॉच बनाया गया है। वादीया का राजस्व रेकर्ड मे नाम नही होने से वादीया को वादगस्त आराजी मे से जोर जबरदस्ती बेदखल करने की धमकिया मिलने से यह वाद पैदा हुआ है अतः वादीया का वाद स्वीकार कर वादीया के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री पारित करना फरमावे।

वादीया की और से पेश वाद दिनांक 16.08.2010 को दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण एंव जरिये सरकार तहसीलदार शिवगंज को सम्मन जारी किये गये। जो बाद तामील से प्राप्त प्रतिवादी संख्या एक ता चार की और से श्री श्रवण कुमार परिहार ने वकालातनाम पेश किया तथा दिनाक 08.10.2010 को स्टेट जरिये तहसीलदार शिवगंज की और जवाबदावा पेश किया गया जिन्हे शामिल मिसल किया गया। दिनाक 18.11.2010 को प्रतिवादीगण एक ता चार की और से जबाब पेश दिनाक 23.2.2011 को वादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित 150 सीपीसी का वास्ते वादी को जवाबुल जवाब पेश किये जाने की अनुमति का पेश किया जिसका वकिल प्रतिवादी संख्या एक चार ने जवाब पेश किया। दिनाक 23.11.2011 को वादीया अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत जवाबदावे का जवाबुल जवाब पेश किया दिनाक 29.2.2012 को वकिल ने वादीया का शपथ पत्र पेश किया जो नकल दिलाने के बाद शामिल मिसल किया गया। दिनाक 27.6.2012 को वादीया अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एंव आदेश 6 नियम 17 सपठित 151 सीपीसी एंव फहरिश्त के साथ दस्तावेज पेश किये जो शामिल मिसल हो वकील मूलसिह ने दिनाक 25.7.2012 को प्रतिवादी संख्या 10 अचलाराम माली कैलाशनगर तथा दिनाक 22.8.2012 को प्रतिवादी संख्या 7 धनराज जैन निवासी सुमेरपुरा व 8 देवीचंद जैन निवासी कैलाशनगर व 9 दिनेश कुमार जैन निवासी पोसालिया की ओर से वकालातनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनाक 12.9.2012 को प्रतिवादीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एंव आदेश 6 नियम 17 सपठित 151 सीपीसी का जवाब पेश किया गया तथा दिनाक 9.1.2013 बहस सुनी जाकर दस्तावेज साक्ष्य व पजीबद्व विकय विलेख 17.5.2012 के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार विवादग्रस्त आराजी के केता को वाद मे प्रतिवादीगण संख्या 7 से 10 तक पक्षकार बनाये जाने एंव तदानुसार वाद पत्र मे संशोधन किये जाने के आदेश दिये दिया जाता गया। दिनाक 22.5.2013 को प्रतिवादी संख्या 7 से 10 की और से जवाबदावा एंव फहरिश्त के साथ दस्तावेज पेश जो शामिल पत्रावली किये गये। दिनाक 11.9.2013 को वादीया अधिवक्ता ने एक प्रार्थना वत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित 151 सीपीसी का इस आशय से पेश किया की प्रतिवादी संख्या 7 से 10 की और से प्रस्तुत जवाबदावा मे स्व. लच्छीरामजी के द्वारा दिनाक 11.10.1999 विवादित आराजी के सम्बध मे वसीयत करने का नया गलत कथन किया है जिसका जवाबुल जवाब दिया जाना वाद के पूर्ण व अतिंम रूप से निस्तारण हेतु अतिआवश्यक है व समर्थन मे वादीया का शपथ पत्र पेश किया नकल सम्बधित पक्षकार अधिवक्ता को दिलाई जाकर शामिल मिसल किया गया। दिनाक 9.10.2013 को प्रार्थना पत्र का जवाब पेश जो शामिल मिसल किया गया । दिनाक 30.4.2014 [illegible] पत्र आदेश 7 नियम 14(3) व धारा 151 सीपीसी के साथ फहरिश्त के साथ पेश द[illegible] रेकर्ड पर लिये जाने का पेश किया जिसकी नकल वकील प्रतिवादीगण क[illegible] पेश नही करने से दिनाक 30.01.2019 को प्रतिवादीगण/[illegible] जाकर वादीया का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) व धारा 151 सी[illegible] कर वर्णित दस्तावेजो को रेकर्ड पर लिये जाने एंव असल वसीयतनामा पेश करने का आदेश पारित [illegible] गया। दिनाक 4.9.2020 को अधिवक्ता प्रतिवादी ने/ प्रतिवादी संख्या 7 लगाय 10 की और से एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 5 की और से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का वास्ते प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने बाबत पेश किया जिस पर दिनाक 21.10.2020 को वादीया अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र जवाब मे बताया की वसीयत की फोटोप्रति प्रतिवादीसंख्या 7 लगाय 10 ने पेश की है जबकि प्रतिवादी अधिवक्ता संख्या एक लगाय पॉच ने वसीयत की फोटोप्रति को द्वितीय साक्ष्य मे साबित करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया है। ....लगातार पेज संख्या–3 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:46:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

.....दिनाक 27.1.2021 को उभय पक्षकार अधिवक्ता की अन्तिम बहस सुनी गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण (प्रतिवादी 1 ता 5) वसीयत की फोटो प्रति को द्वितीय साक्ष्य के रूप मे शामिल करने का निवेदन तो किया है मगर उक्त दस्तावेज को पूर्व मे जवाबदावा के साथ प्रस्तुत नही किया गया ।उक्त दस्तावेज अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 7 ता 10 की और से जवाब मे पेश किया गया जिससे अप्रार्थीगण एक ता पॉच व सात ता 10 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

दिनाक 23.10.2019 को वादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश होकर साक्ष्य वादी जिरह पी.डब्लु–1 व पी.डब्लु–2 दिनाक 8.1.2021 व 26.2.2020 की गई अन्य वादी साक्ष्य पेश नही करना चाहने से वादी साक्ष्य बन्द की गई। दिनाक 18.3.2020 को प्रतिवादीगण 1 ता 3 का शपथ पत्र साक्ष्य प्रतिवादीगण के रूप मे पेश किया गया जिस पर दिनाक 28.10.2020, डी.डब्लु 1 फूलाराम दिनाक 6.01.2021 को डी डब्लु–2 भंवरलाल व दिनाक 13.1.2021 को डी डब्लु–3 धनराज जैन द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रतिवादी जिरह कलमबद्व की गई अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहने से साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

वाद पत्र मे उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस एव कथन को सुना गया वादीया अधिवक्ता ने बहस दौरान बताया कि प्रदर्श–1 जमाबंदी खतौनी जोगापुरा जमाबन्दी 2051–54 वादीया के पिता लच्छीराम के द्वारा धर्मचंद पुत्र प्रतापराम से वादग्रस्त आराजी के खरीद का इन्द्राज है तथा इसी मे 1/10 हिस्सा वादी के पिता द्वारा वादीया की माता लेहरीबाई का दिये जाने का इन्द्राज है इसके बाद की स्थिति 9/10 लच्छीराम व 1/10 हिस्सा लेहरीबाई का दर्ज है। प्रदर्श–6 नामान्तरकरण दिनाक 23.4.2000 के अनुसार पटवारी जोगापुरा ने लच्छीराम की मृत्यु के पश्चात लच्छीरामजी के समस्त उत्तराधिकारी के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया था जिसमे वादीया कन्याबाई व प्रतिवादी संख्या पॉच पार्वतीबाई जो दोनो लच्छीरामजी की पुत्रीया है उनका नाम भी शामिल था जिसकी जॉच भू. अभिलेख निरीक्षक के द्वारा की गई थी परन्तु तत्कालिन संरपच ग्राम पचायत जोगापुरा द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व नामान्तरकरण फर्द के पिछे उक्त नामान्तरकरण मे दर्ज पुत्रीयो का नाम हटाते हुए स्वीकृत किया गया जबकि पुत्रीया का वादग्रस्त भूमि मे हक हिस्सा निहित है एंव मौके पर कब्जा काश्त है। इस सम्बध मे वादीया अधिवक्ता ने नजरी माननीय सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपील नम्बर 1269–1270/2019 निर्णित दिनाक 29 जनवरी 2019 अनवान प्यारेलाल बनाम शुभेन्द्र पिलानिया (नाबालिग) वास्तविक सरक्षक पिता श्री प्रदीपकुमार पिलानिया व अन्य की पेश की गई।

निर्णय

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य एंव दस्तावेजो के अनुसार विवादग्रस्त आराजी मौजा जोगापुरा खसरा नम्बर 140/1 एंव खसरा नम्बर 140/2 किता दो कुल रकबा 92 बीघा 15 बिस्वा भूमि को वादीया व प्रतिवादीगण एक लगाय पॉच के पिता स्व. लच्छीराम पुत्र चमनाजी जाति माली ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से सन् 1957 मे खरीदकर खातेदार कृषक बने व कब्जा काश्त रहा। स्व. लच्छीरामजी ने अपने जीवितकाल मे ही वाद पत्र के पद संख्या एक (अ) मे अंकित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 140/1 एंव खसरा नम्बर 140/2 किता दो कुल रकबा 92 बीघा 15 बिस्वा मे से 1/10 हिस्सा अपनी पत्नि श्रीमति लेहरीबाई धर्मपत्नि लच्छीरामजी को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से विक्रय करने के आधार पर उक्त वर्णित भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे लच्छीरामजी का 9/10 एंव लेहरीबाई का 1/10 हिस्सा दर्ज हुआ। लच्छीरामजी का देहान्त दिनाक 12.10.1999 को होने के पश्चात उनके वारिसान वादीया एंव प्रतिवादी संख्या एक ता पॉच एंव पत्नि श्रीमति लेहरीबाई भी लच्छीरामजी की उत्तराधिकारी थी जिससे लच्छीरामजी की मृत्यु के पश्चात विवादग्रस्त भूमि मे उत्तराधिकारी खातेदार वादीया एंव प्रतिवादी संख्या एक ता पॉच एंव लेहरीबाई का 1/7–1/7 हक हिस्सा बनता है। प्रतिवादीगण एक ता पॉच ने दिनाक 17.5.2012 पजीबद्व विक्रय विलेख से वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 140/1 , 140/2 (9/10 हिस्सा) किता दो कुल रकबा 92–15 बीघा एवम खसरा नम्बर 259/9 व 262/5 (1/10 हिस्सा) किता दो कुल रकबा 1–00 बीघा सम्पूर्ण कुल खसरा नम्बर 93–15 बीघा मे से प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का 36/50 हिस्सा व कन्याबाई के नाम 9/50 हिस्सा व 1/10 हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से कुल रकबा 87.17 बीघा का बेचान किया गया । जिसमे अकित इबारत अनुसार प्रतिवादीगण एक लगाय पॉच द्वारा विवादग्रस्त आराजी का किसी को बक्षीस, वसीयत रहन हस्तान्तरित अथवा मलकियत नही किया गया तथा भूमि सभी ऋण भार से मुक्त होना दर्शाया गया है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण 7 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा की फोटो प्रति की असल नकल आज दिनाक तक प्रस्तुत नही की गई ... प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने भी असल वसीयतनामा प्रस्तुत करने से वसीयत किया जाना प्रमाणित ... इस सम्बंध मे कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश किये है जिससे लच्छीरामजी ने अपने जीवनकाल मे ... भूमि के सम्बंध मे कोई वसीयत की हो प्रमाणित नही होता है।

अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे सवत् 2051–2054 अनुसार वादग्रस्त भूमि मौजा जोगापुरा के खसरा नम्बर 140/1, 140/2 किता दो कुल रकबा 92–15 बीघा जिसमे स्व लच्छीरामजी का 9/10 हिस्सा एव स्व. लेहरीबाई पत्नि लच्छीराम का 1/10 हिस्सा दर्ज है तथा जमाबंदी सवत् 2055–2058 अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा जोगापुरा के खसरा नम्बर 259/1मी. व खसरा नम्बर 262/1मी किता दो कुल रकबा 1–00 बीघा स्व. लच्छीरामजी के खातेदारी मे दर्ज है लच्छीरामजी की मृत्यु पर पटवारी हल्का जोगापुरा ने लच्छीरामजी के चार पुत्र भंवरलाल, फूलाराम, उगमराज, दिलीप कन्याबाई, पार्वतीबाई पि. लच्छीराम, मु0लेहरीबाई पत्नि लच्छीरामजी जाति माली के नाम से नामान्तरकरण संख्या 969 दिनाक 13.4.2000 को दायर किया था। पेज संख्या–4 पर......

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:46:13 IST
Reason: SelfAttested

......जिसे भू.अभिलेख निरीक्षक पोसालिया ने दिनाक 15.4.2000 को तस्दीक किया था लेकिन संरपच ग्रम पंचायत जोगापुरा ने वादीया व प्रतिवादी संख्या 5 पार्वतीबाई विधिक वारिसान होने के बावजुद केवल भंवरलाल, फूलाराम, उगमराज, दिलीपकुमार पि. लच्छीराम मु.लेहरीबाई पत्नि लच्छीराम जाति माली को उत्तराधिकारी की टिप्पणी कर स्वीकार किया जिसके आधार पर पुत्रगण प्रतिवादी संख्या एक ता चार एंव पत्नि लेहरीबाई के नाम से उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज किया गया जो विधि सम्मत नही है।

जबकि वाद के पद संख्या एक (ब) मे अकिंत भूमि खसरा नम्बर 259/1 मी. व 262/1मी01 किता दो कुल रकबा 1–00 भूमि का स्व. लेहरीबाई की मृत्यु के बाद वादीया व प्रतिवादीगण एक ता पॉच जो स्व. लच्छीराम व स्व. लेहरीबाई पत्नि लच्छीरामजी के जायन्दा पुत्रगण व पुत्रीया होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 1033 से राजस्व रेकर्ड जमाबदी मे दर्ज हुएं जो विधि सम्मत है उक्त नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे खातेदारी दर्ज होने से प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने विवादग्रस्त आराजी का बेचान जरिये पंजीबद्व विकय विलेख दिनाक 17.5.2012 को प्रतिवादीगण संख्या 7 लगाय 10 को विकय कर दिया जबकि उक्त विवादित भूमि मे वादीया कन्याबाई स्व.लच्छीरामजी व स्व.लेहरीबाई की पुत्री होने से विधिक उत्तराधिकारी है तथा वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादीगण 1 ता 4 के सम्मान अनुपात मे हिस्सा पाने व खांतेदारी हक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी होने से वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी मौजा जोगापुरा के खसरा नम्बर 140/1 व खसरा नम्बर 140/2 किता दो कुल रकबा 92–15 बीघा भूमि तथा मौजा जोगापुरा के खसरा नम्बर 259/1मी व 262/1मी किता दो कुल रकबा 1–00 बीघा जो प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 5 ने प्रतिवादीगण संख्या 7 लगाय 10 को बेचान कर दिया था जबकि वादीया कन्याबाई का उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि मे 1/6 हिस्सा निहित होने से वादीया कन्याबाई को 1/6 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 7 लगाय 10 की खातेदारी की रहेगी। तहसीलदार शिवंगज तद्अनुसार राजस्व रिकार्ड मे नामान्तरकरण अमल दरामद करने की कार्यवाही करे। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो।

पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करे। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

न्यायालय * शिवगंज (राजस्थान)

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.01.2021 को जारी किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) शिवगंज
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:46:13 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज

बइजलास भागीरथ राम, आर0ए0एस0

वादीगण
कन्याबाई पुत्र लच्छीराम पत्नि प्रेमकपूर
जाति माली निवासी सिरोही
अधिवक्ता नरपतसिह देवडा उपस्थित।

बनाम

प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र लच्छीरामजी माली
2. फूलाराम पुत्र लच्छीरामजी माली
3. उगमराज पुत्र लच्छीरामजी माली
4. दिलीपकुमार पुत्र लच्छीरामजीमाली
5. पार्वतीबाई पुत्री लच्छीराम पत्नि बाबुलालजी समस्त जातियान माली निवासीगण सुमेरपुर तह.सुमेरपुर
6. सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज
7. धनराज पुत्र राजमल जैन सुमेरपुर
8. देवीचन्द पु.मीठालाल जैनकैलाशनगर
9. दिनेशकुमार पुत्र चम्पालाल जैन पोसालिया
10. अचलाराम पुत्र सदाजी माली नि. कैलाशनगर

अधिवक्ता श्रवणपरिहार, मूलसिह देवडा

वाद सख्या पुराना 139/2010
नया 40/2012

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू.......व हाजरी वादीया मय अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि–वादी का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानो के तहत स्वीकार व डिकी किया जाकर तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा जोगापुरा पटवार हल्का जोगापुरा तहसील शिवगंज मे स्थित भूमि मे खांतेदारी हक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी होने से वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी मौजा जोगापुरा के खसरा नम्बर 140/1 व खसरा नम्बर 140/2 किता दो कुल रकबा 92–15 बीघा भूमि तथा मौजा जोगापुरा के खसरा नम्बर 259/1मी व 262/1मी किता दो कुल रकबा 1–00 बीघा जो प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 5 ने प्रतिवादीगण संख्या 7 लगाय 10 को बेचान कर दिया था जबकि वादीया कन्याबाई का उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि मे 1/6 हिस्सा निहित होने से वादीया कन्याबाई को 1/6 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 7 लगाय 10 की खातेदारी की रहेगी। तहसीलदार शिवंगज तद्अनुसार राजस्व रिकार्ड मे नामान्तरकरण अमल दरामद करने की कार्यवाही करे। पक्षकारान खचा अपना अपना वहन करेगे।

बसबुत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.01.2021 को जारी की गई।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

मुदाई	रूपया/पै..	मुद्दायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	–शून्य–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बा... हुक्मनामा ...रीक मीजान	–:शून्य:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:46:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि पालनार्थः– तहसीलदार शिवगंज।